फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री नन्द किशोर शर्मा निवासी आशीर्वाद भवन, गारियावास, रेलवे स्टेशन के पास, मावली जंक्शन, तहसील मावली, जिला उदयपुर — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 105 / 2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 28.11.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से जरिये पत्र क्रमांकः सूचना का अधिकार / 2025 / 490 दिनांक 19.11.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा आवेदन आईडी संख्या 250819025060077234 दिनांक 09.02.2022, 03.35 अपरान्ह में परिवार की मुखिया के पति तथा सदस्य नन्द किशोर शर्मा का नाम हटाए जाने का कारण मृत्यु (DEATH) दर्ज करने जो संबंधित दस्तावेज / प्रपत्र अपलोड किया गया उक्त संबंध में उक्त प्रकरण वर्ष 2022 का है व वर्तमान में 2022 का कोई दस्तावेज जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध नहीं करवाए जा सकते है। इस कार्यालय में कोई दस्तावेज (हार्डकॉपी) उपलब्ध नहीं है। आवेदन आईडी संख्या 250819025060077234 दिनांक 09.02. 2022, 03.35 अपरान्ह में आवेदनकर्ता का पूरा नाम तथा डाक का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर के संबंध में जनाधार पोर्टल पर जनाधार के सदस्य द्वारा ही आवेदन किया जा सकता है। उसका विवरण जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। आवेदन आईडी संख्या 250819025060077234 दिनांक 09.02.2022, 03.35 अपरान्ह में जिस ई–मित्र / व्यक्तिगत आईडी से आवेदन किया गया उसका सम्पूर्ण विवरण जैसे आईडी का नाम एवं कोड संख्या, डाक का पूर्ण पता तथा मोबाईल नम्बर के संबंध मे जनाधार पोर्टल पर प्रदर्शित डाटा अनुसार ई–मित्र आई डी का नाम ANKUR. MAHATMA है। अन्य कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील का जवाब स्वीकार करते हुए अपील निरस्त कराने का श्रम करावें। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी आमेट की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचनाएं जनाधार आईडी से परिवार के मुखिया के पति तथा सदस्य नन्द किशोर शर्मा का नाम हटाए जाने का कारण मृत्यु दर्ज हेतु जो संबंधित दस्तावेज/प्रपत्र अपलोड किया गया उसकी प्रति तथा आवेदनकर्ता का पुरा नाम तथा डाक का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर व जिस ई–मित्र/व्यक्तिगत आईडी से आवेदन किया गया उसका सम्पूर्ण विवरण चाहा गया। इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट की रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रकरण वर्ष 2022 का है व वर्तमान में 2022 का कोई दस्तावेज जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने से दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जा सकते है। तथा कार्यालय में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और जनाधार पोर्टल पर जनाधार के सदस्य द्वारा ही आवेदन किया जा सकता है। उसका विवरण जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है व जनाधार पोर्टल पर प्रदर्शित डाटा अनुसार ई–मित्र आई डी का नाम ANKUR. MAHATMA के अलावा अन्य कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांक क्रमांक 490 दिनांक 19.11.2025 से सूचित भी किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत कार्यालय में उपलब्ध/संधारित अभिलेख की हुबहु सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है अर्थात उसी ही रूप में दिये जाने के प्रावधान है।

अतः वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित कर दिये जाने से उक्त अपील को खाारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)